



प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात

दिनांक- 30.08.2026

➤ **थाना सिकन्दरा पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए, हत्या के प्रयास की घटना में वांछित 03 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।**

कृपया अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात में अपराध नियन्त्रण की दिशा में घटनाओं की रोकथाम व अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, थाना सिकन्दरा पर वादी द्वारा लिखित तहरीर दिनांक 28.08.2026 को वादी को उसके खेत के पास से कार में बैठाकर मारपीट करने तत्पश्चात ग्राम जमौरा के देशी शराब ठेका के पास कार रोककर वादी के साथ धारदार हथियार व तमंचे की बट से सिर व मुंह में मारने व पीठ-छाती पर चढ़कर बैठ जाने तथा जान से मारने की धमकी देते हुए जान से मारने का प्रयास करने, जिससे शरीर में काफी गंभीर चोटें आने की घटना कारित करने के सम्बन्ध में दी गयी। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना सिकन्दरा पुलिस पर मु0अ0सं0 0162/2026 धारा 109(1)/115(2)/191(2)/191(3)/351(3) बीएनएस बनाम 1. हर्षित यादव उर्फ गौरव यादव पुत्र विनोद 2. मनी यादव उर्फ मोलू यादव पुत्र तार बाबू निवासी गण ग्राम बलियापुर थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात, 3. जयनीत कटियार पुत्र राजेश बाबू निवासी ग्राम जमौरा थाना सिकन्दरा जनपद कानपुर देहात आदि पंजीकृत किया गया। जिसमें थाना सिकन्दरा पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए मुखबिर खास की सूचना पर 1. हर्षित यादव उर्फ गौरव यादव पुत्र विनोद 2. मनी यादव उर्फ मोलू यादव 3. जयनीत कटियार पुत्र राजेश उपरोक्त को महमूदपुर झाल थाना सिकन्दरा क्षेत्र से दिनांक 30.08.2026 को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण का विवरण-

1. हर्षित यादव उर्फ गौरव यादव पुत्र विनोद निवासी ग्राम बलियापुर थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात
2. मनी यादव उर्फ मोलू यादव पुत्र तार बाबू निवासी ग्राम बलियापुर थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात
3. जयनीत कटियार पुत्र राजेश बाबू निवासी ग्राम जमौरा थाना सिकन्दरा जनपद कानपुर देहात

आपराधिक इतिहास अभियुक्त हर्षित यादव उर्फ गौरव यादव-

1. मु0अ0सं0 91/25 धारा 115(2)/3(5)/351(3)/352 बीएनएस थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात
2. मु0अ0सं0 383/25 धारा 115(2)/3(5)/351(3)/352 बीएनएस थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात
3. मु0अ0सं0 21/26 धारा 3/25/27 आयुध अधि0 , धारा 109(1)/126(2)/351(3)/352 बीएनएस थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात
4. मु0अ0सं0 0162/2026 धारा 109/115(2)/191(2)/191(3)/351(3) बीएनएस थाना सिकन्दरा जनपद कानपुर देहात

आपराधिक इतिहास अभियुक्त मनी यादव उर्फ मोलू यादव-

1. मु0अ0सं0 54/26 धारा 115(2)/3(5)/324(4)/351(3)/352 बीएनएस थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात
2. मु0अ0सं0 128/26 धारा 115(2)/351(2)/352 बीएनएस थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात
3. मु0अ0सं0 0162/2026 धारा 109/115(2)/191(2)/191(3)/351(3) बीएनएस थाना सिकन्दरा जनपद कानपुर देहात

आपराधिक इतिहास अभियुक्त जयनीत कटियार-

1. मु0अ0सं0 169/24 धारा 121/125/126(2)/132/191(2)/192/221/223/224/324(3) बीएनएस व धारा 7 सीएलए व धारा 3 सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधि0 थाना सिकन्दरा जनपद कानपुर देहात
2. मु0अ0सं0 0162/2026 धारा 109/115(2)/191(2)/191(3)/351(3) बीएनएस थाना सिकन्दरा जनपद कानपुर देहात

पूछताछ अभियुक्त-

अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि साहब हम लोग आपस में दोस्त हैं। दिनांक 28.08.2026 को शाम के समय हम लोग गाड़ी नम्बर यूपी 77 एवी 5704 बलियापुर की तरफ मौज-मस्ती करते हुए जा रहे थे। आपस में एक दूसरे को मजाकिया तौर पर गाली-गलौज भी कर रहे थे तभी रास्ते में तलुवापुर का अमित तिवारी मिला उसे लगा कि ये लोग मुझे गाली दे रहे हैं तो वह हम लोगो को माँ बहन की गाली देने लगा इतने में गौरव यादव, मनी यादव व नीरज यादव ने गाड़ी से उतर कर उसे जबरदस्ती गाड़ी में डाल लिया। हम लोग उसे मारते-पीटते हुए जमौरा शराब के ठेके के पास ले गये वहाँ भी उससे मारपीट की तभी गाँव से काफी भीड़ इकट्ठी हो गयी तो हम लोग वहाँ से मौके से भाग गये थे।

बरामदगी-

1. घटना में प्रयुक्त 01 सफेद रंग की TATA NEXON कार संख्या UP 77 AV 5704।

गिरफ्तार करने वाली थाना सिकन्दरा पुलिस टीम-

1. उप निरीक्षक श्री सुशील चन्द्र
2. हे0का0 16 रूप सिंह
3. का0 531 मनीष कुमार
4. का0 651 संदीप कुमार
5. का0 551 प्रताप सिंह
6. रि0का0 873 आकाश सिंह
7. रि0का0 684 अशोक
8. रि0का0 392 मनीष कुमार
9. रि0का0 934 सतेन्द्र सिंह